

परीक्षा आयोजन प्रक्रिया

1. परीक्षा दिनांक 30-06-2024 (रविवार) को रखा जाना प्रस्तावित है।
2. परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति अधिकृत वेब साइट <https://predeledraj2024.in> से परीक्षा तिथि से 7 दिवस पूर्व से डाउनलोड किये जा सकेंगे।
3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा पूर्व आवश्यक रूप से पहुँच कर स्थान ग्रहण करना होगा।
4. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) तथा ओ एम आर शीट (OMR Sheet) प्राप्त कर, अवलोकन पश्चात् यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण हैं। कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है तथा प्रश्नों का क्रमांक बढ़ते क्रम में है। क्षतिग्रस्त / त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) तथा ओ एम आर शीट (OMR Sheet) को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें। इसके पश्चात् कोई बदलाव नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
5. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा कक्ष छोड़ते समय अभ्यर्थी अपने साथ ओ एम आर शीट की कार्बनकॉपी एवं प्रश्न पुस्तिका ले जा सकेंगे।
6. **प्रश्न पत्र संरचना:-** प्रश्न-पत्र चार खण्डों अ.ब.स एवं द में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। सभी प्रश्न बहु वैकल्पिक (Multiple Choice Type Questions) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प होंगे जिनमे से एक विकल्प सही होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 03 अंक का है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं होगा। प्रश्न पत्र संरचना निम्न प्रकार होगी।

खण्ड	अ	ब	स	द		
विषय	मानसिक योग्यता	राजस्थान की सामान्य जानकारी	शिक्षण अभिक्षमता	I अंग्रेजी	II संस्कृत हिन्दी	
प्रश्नों की संख्या	50	50	50	20	30	30
अंक	150	150	150	60	90	90

7. **प्रश्न-पत्र सम्बन्धी सूचना :-** प्रश्न पत्र चार खण्डों (अ.ब.स.द) में विभक्त होगा। खण्ड 'द' तीन उपखण्डों (I-अंग्रेजी, II संस्कृत एवं III -हिन्दी) में विभाजित होगा। खण्ड अ.ब.स एवं द का उपखण्ड-I (अंग्रेजी) सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। खण्ड द का उपखण्ड - संस्कृत भाग प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा तथा खण्ड 'द' का उपखण्ड III- हिन्दी भाग प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा।
8. जो अभ्यर्थी प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) सामान्य एवं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) संस्कृत दोनों का चयन करते हैं, उन्हें खण्ड द का उप-खण्ड संस्कृत भाग हल करना होगा।
9. परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुवैकल्पिक (Multiple Choce Question) होंगे तथा इनके सही उत्तर के लिए आपको दी गयी ओ एम आर शीट (OMR Sheet) के संबंधित प्रश्न संख्या के सामने अंकित A,B,C,D वाले गोले को ही काला / नीला करना होगा। अन्य स्थान को काला / नीला करने या A,B,C,D लिखने पर आपकी ओ एम आर शीट (OMR Sheet) का अंकन नहीं होगा। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
10. ओ एम आर शीट (OMR Sheet) सम्बन्धी सूचना:-
(अ) परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ओ एम आर शीट (OMR Sheet) की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति करें। अभ्यर्थी ओ एम आर शीट (OMR Sheet) में रोल नम्बर एवं प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) नम्बर सावधानीपूर्वक सही अंकित करें और अपना

रोल नम्बर प्रवेश पत्र से जाँच कर लिखें। अभ्यर्थी का परिणाम OMR Scanning मशीन द्वारा ओ एम आर शीट (OMR Sheet) में अपने द्वारा भरा गया प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) नम्बर के आधार पर ही तैयार किया जावेगा।

(ब) ओ एम आर शीट (OMR Sheet) चार खण्डों में विभक्त होगी। प्रत्येक खण्ड में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम चार वैकल्पिक उत्तर A,B,C,D के रूप में होंगे।

(स) ओ एम आर शीट (OMR Sheet) में सही उत्तर वाले गोले को काले/नीले बॉल पाइंट पेन से पूरा गहरा करें।

(द) एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को काला/नीला करें, तथा रफ कार्य न करें। एक से अधिक गोलों को काला/नीला करने पर सम्बंधित प्रश्न में कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

(य) गोले को ही काला/नीला करें, अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले का अंकन नहीं होगा।

(र) ओ एम आर शीट (OMR Sheet) का मूल्यांकन Scanning द्वारा होगा। अतः सम्पूर्ण गोला गहरा काला/नीला करें।

(व) Question Paper के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षा केन्द्र पर प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) पर्यवेक्षक को अपनी शिकायत लिखित में दें।

नोट : परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का परीक्षार्थी के साथ लाया जाना सख्त वर्जित है।



परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा की शुचिता, पवित्रता एवं गरिमा बनाये रखनी होगी। नकल करने, नकल करने का प्रयास करने अथवा अनुचित/वर्जित साधनों का परीक्षा में प्रयोग करने अथवा प्रयोग करने की कोशिश करना वर्जित होगा तथा इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में संलिप्त पाये जाने पर परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसे अनुचित कार्यों में मदद करने वालों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। ऐसा कृत्य करने वालों को 3 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।